शुधनं नित्यं सर्वलोकोपकारकम्।

Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

Dr. Vishnu Sharma
Vice-Chancellor

प्रथम अपील संख्या 142/2020

श्री महावीर रांका
सरकारी अस्पताल के पीछे,
गंगाशहर,बीकानेर–334001

अपीलार्थी

बनाम

कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
बीकानेर

प्रत्यर्थी

अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 07.09.2020
अपील में निर्णय की दिनांक 21.10.2020

निर्णय

अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रथम अपील मूल आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2020 के माध्यम से कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर से चाही गई सूचना के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक F(1117)/RAJUVAS/Reg,./RTI/2020/348 दिनांक 09.09..2020 द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर/सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2020 प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी। जिस पर कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी अपने पत्रांक F(1117)/RAJUVAS/Reg,./RTI/2020/348 दिनांक 09.09.2020 से आवेदक को प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना व कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के उक्त वर्णित पत्र दिनांक 09.09..2020 के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित प्रत्युत्तर/सूचना का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वांछित सूचना के बिन्दु	पृष्ठों की गणना एवं देय शुल्क
1.	सेवानिवृत शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाऐं संविदा के आधार पर 60 वर्ष से ऊपर व 65 वर्ष तक जिनकी सेवाऐं 02 वर्ष पूर्ण या 02 वर्षो से अधिक रहे है वैसे शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों की सूची सहित नाम, पदनाम, सेवानिवृति दिनांक व जिस दिनांक से संविदा पर लगाये गये व किस जगह कार्यरत है उन सभी सत्यापित सूचना उपलब्ध कराने का श्रम करें। (राजुवास के अन्तर्गत संविदा कर्मचारियों की सूचना मांगी गई है।)	आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेखित सूचना के बिन्दू संख्या 01 के संबंध में प्रमाणित सूची संलग्न है जिसके कुल 04 पृष्ठ है।
2.	उक्त बिंदू संख्या 01 के अनुसार वैसे सेवानिवृत संविदा कर्मचारियों को यदि संविदा से नहीं हटाया गया है या जिन नियमों के तहत दिनांक 25.05.2020 के कुलसचिव के आदेश के बाद रखा गया है उस नियम की सत्यापित प्रति सहित सूचना देवें।	बिन्दू संख्या 02 के संबंध में लेख है कि ऐसे सेवानिवृत कर्मचारी जिनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है. कुल सचिव के आदेश दिनांक 25.05.2020 के बाद एक भी कर्मचारी को नहीं रखा गया है। आप द्वारा वांछित सूचना के

3.	राजूवास में ठेका पद्धति पर वर्तमान में ठेकेदार द्वारा कुल कितने कर्मचारियों की सेवायें दी जा रही है (सूचि पदनाम, पदस्थापन व पदवेतन) सूचित करें।	बिन्दू संख्या 03 के संबंध में लेख है कि विश्वविद्यालय एवं सेवाप्रदाता फर्म (ठेकेदार) के मध्य हुए अनुबंध की शर्तो के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणी के मानव संसाधन की आवश्यकतानुसार मांग करने पर ठेकेदार द्वारा उक्त श्रेणी के मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाते है। ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मानव संसाधन का रिकॉर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नही किया जाता है ऐसी स्थिति में सूची उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।
4.	राजूवास बीकानेर में वर्तमान में कुल कितने वाहन उपयोग में लिये जा रहे है एवं किस किस प्रशासनिक अधिकारी को वाहन उपलब्ध करवाये गये है।	बिन्दू संख्या 04 के संबंध में लेख है कि राजूवास बीकानेर में उपलब्ध वाहनों व आवंटन की सूची/विवरण के 02 पृष्ठ संलग्न है।
5.	राजूवास परिसर में स्थित पार्क, फैकल्टी हॉल से शादी समारोह में वर्ष 2015–16 से वर्ष 2018–19 तक कुल कितनी आय हुई।	राजुवास बीकानेर में स्थित पार्क, फैकल्टी हॉल से शादी समारोह में वर्ष 2015–16 से 2010–19 तक हुई आय संबंधी विवरण/सूचना का 01 पृष्ठ संलग्न है।
6.	राजूवास परिसर में निर्माणाधीन कुलपति आवास पर कुल व्यय तथा ठेकेदार द्वारा किये जा रहे कार्य की जी–शेड्यूल एवं एच–शेड्यूल की प्रतिलिपि देने का श्रम करें।	वांछित सूचना के बिन्दू सं 06 राजूवास परिसर में निर्माणाधीन कुलपति आवास संबंधी सूचना के कुल 23 पृष्ठ प्रमाणित प्रति संलग्न है।

अपीलार्थी द्वारा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राजुवास, बीकानेर के पत्र दिनांक 09.09.2020 द्वारा प्रदत्त सूचना/प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं होने का उल्लेख करते हुए यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक एफ (अ–142/20)VCS/RAJUVAS/RTI/2020/407 दिनांक 30.09.2020 के द्वारा अपील में सुनवाई हेतु अपीलार्थी को व्यक्तिशः उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया। आज सुनवाई दिनांक 21.10.2020 को अपीलार्थी अनुउपस्थित रहा। दौरान सुनवाई कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी की और से पक्ष प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी/आवेदक के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र दिनांक 09.09.2020 के द्वारा विश्वविधालय के रेकार्ड अनुसार सूचना प्रेषित कर दी गई। अतः अपील निरर्थक हो चुकी है। उक्त तथ्य के मध्यनजर प्रत्यर्थी पक्ष में अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का मनन् किया एवं अभिलेख का परिशीलन किया। उक्त वर्णित तथ्यों, तर्को, संबधित अभिलेख व नियमों के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को पत्र दिनांक 09.09.2020 से प्रत्युत्तर/सूचना प्रदान की जा चुकी है तथा कुलसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निस्तारण में संपादित की गई कार्यवाही उचित है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों व आधारों पर अपील अपीलार्थी आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नही है अतः अपील अपीलार्थी उक्त तथ्यों व आधारों पर खारिज की जाती है। निर्णय खुले चैम्बर में सुनाया गया। निर्णय प्रति उभयपक्षों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

21/10/2020

(डॉ. विष्णु शर्मा)
कुलपति एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राजुवास, बीकानेर